

जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
 क्लस्टर कार्वालिब लखनऊ, अमीन कॉम्प्लेक्स,
 अकबरी गेट प्रॉब्लिम, लखनऊ-03
 ई-मेल: cluluck@jkbmail.com वेबसाइट: www.jkbank.com
 कॉर्पोरेट मुख्यालय: एम.ए. रोड, शीनार 190001 जम्मू एंड कश्मीर, भारत, जीएस्टीआईडिन: 01AAACT6167GIZL

कक्का सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित सरकारी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (सरकारी) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारों के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवाली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 23.12.2025 जारी कर कर्जदार यानी मेरसई राजश्री ट्रेडर्स, प्रोपराइटर नसरति सिद्दीकी पत्नी सैफुल्लाह सिद्दीकी, युनिट पता 452, कोटवा, नानपारा, बहराच, उत्तर प्रदेश 271865 और पता 135, जुबलीनग नूरी मार्केट, तहसील नानपारा, जिला बहराच, उत्तर प्रदेश 271865 (कर्जदार) और श्री नूर मोहम्मद (मृतक बंधककर्ता सह गारंटर) पुत्र सुल्तान अहमद निवासी मोहल्ला जुबलीनग कक्का परगना और तहसील नानपारा, जिला बहराच, उत्तर प्रदेश (बंधककर्ता सह गारंटर) और कानूनी उत्तराधिकारी:

(क) श्री खलील उल लाह पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (ख) श्री नूरुल्लाह पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (ग) श्री अजीमिल्लाह पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (घ) श्री सैफुल्लाह पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (ङ) श्री मोहम्मद युसुफ पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (च) मोहम्मद रेहान पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (छ) सुश्री गजाला नूर पुत्री स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (ज) सुश्री तेवबा जुनेद पुत्री स्वर्गीय नूर मोहम्मद

सभी निवासी मोहल्ला जुबलीनग कक्का परगना और तहसील नानपारा जिला बहराच उत्तर प्रदेश 271865 नूर मोहम्मद के सभी कानूनी उत्तराधिकारी, जिन्हें आगे मृतक बंधककर्ता सह उमनतकर्ता भी कहा जाएगा। को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर खाली में बकाये राशि 05.12.2025 तक बकाया रु. 60,58,797.46 (रुपये साठ लाख अठ्ठावन हजार सात सौ सत्तानवे और छियालीस पैसे मात्र) तथा भावी लागत एवं अन्य प्रभार आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उक्त कर्जदार, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा कर्जदारों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 7 अगस्त, 2025 को जे एंड के बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने उक्त निगमावली के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित बंधक सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से अग्रधारक तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 63,47,822.46 (रुपये तिरसठ लाख सैंतलीस हजार आठ सौ ब्याईस और छियालीस पैसे मात्र) तथा 01.07.2025 से उस पर भावी ब्याज एवं होने वाले वाह्य एवं अन्य व्यय के लिये जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा।

अग्रधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विभाजित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

- मोहल्ला जुबलीनग, कक्का परगना और तहसील नानपारा, जिला बहराच में स्थित 9591 वर्ग फुट भूमि वाले पक्के और पुराने मकान के समतुल्य बंधक पर प्रभार का विस्तार। श्री नूर मोहम्मद पुत्र सुल्तान अहमद निवासी मोहल्ला जुबलीनग, कक्का परगना और तहसील नानपारा, जिला बहराच, उत्तर प्रदेश 271865 के पास है।
- ग्राम नानपारा में स्थित गाटा संख्या 5206 के 0.012 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले भूखंड और उस पर प्रस्तावित सभी निर्माण का समतुल्य बंधक। यह संपत्ति नसरति सिद्दीकी के नाम पर है।

दिनांक: 07-08-2025 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
 स्थान: लखनऊ, उ.प्र. जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

बैंक ऑफ़ बड़ोदा
 Bank of Baroda

भारत नगर शाखा,
 41-9, भारत नगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली 110025
 फोन- 7982787250, ईमेल - TRDBHA@bankofbaroda.com

लॉकर धारकों को नोटिस – बैंक ऑफ़ बड़ोदा द्वारा लॉकरों के किराए का भुगतान न करने पर

यह हमारे उन सम्पन्नित ग्राहकों की जानकारी के लिए है, जिन्होंने बैंक ऑफ़ बड़ोदा, भारत नगर शाखा में लॉकर किराए पर लिए हैं और अनुबंध का उल्लंघन किया है। आवसीआई/बैंक के वित्तीयदोषों के अनुसार, लॉकर धारकों को उनके ढंग पता पर भेजे गए नोटिस बिना सूचना के वापस आ गए हैं या उनका कोई जवाब नहीं दिया गया है। लॉकर धारकों से उनके ढंग पता पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के प्रयास भी विफल रहे हैं और उनका वर्तमान पता नहीं बल सका है।

इस प्रकार, कोई विकल्प न होने के कारण, यह नोटिस नीचे नामित सभी व्यक्तियों को दिया जा रहा है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन से 90 दिनों की अवधि के भीतर बैंक को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ोदा, भारत नगर शाखा से संपर्क करें, ऐसा न करने पर बैंक अपनी लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर लॉकर को तोड़ने की कार्यवाही करेगा और बैंक इस कार्य के लिए बकाया किराया, लागत और अन्य शुल्कों की वसूली के लिए वस्तुओं पर अपने ग्राह्याधिकार के अधिकार का प्रयोग करेगा।

क्र. सं.	पुराना लॉकर नं.	नया लॉकर नं.	ग्राहक का नाम	ग्राहक का पता	देय तिथि	अंतिम सूचना	अतिरिक्त राशि (रु. में) दिनांक 17.04.2025 तक
1.	6	2132A0X0203	यशदिवर मोहन खन्ना	41-46, अमर कॉलोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली 110024	16-09-2021	02-05-2025	Rs. 9,381

कृपया ध्यान दें कि बैंक अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा और ग्राहक द्वारा उठाए गए किसी भी लागत, हानि या दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा (लॉकर की सामग्री की किसी भी क्षति और/या हानि सहित) यदि लॉकर को तोड़ा जाता है और लॉकर सशुद्धी के प्रावधानों के अनुसार इसकी सामग्री का निपटारा किया जाता है।

जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
 क्लस्टर कार्वालिब लखनऊ, अमीन कॉम्प्लेक्स,
 अकबरी गेट प्रॉब्लिम, लखनऊ-03
 ई-मेल: cluluck@jkbmail.com वेब: www.jkbank.com
 कॉर्पोरेट मुख्यालय: एम.ए. रोड, शीनार-190001, जम्मू एंड कश्मीर, GSTIN: 01AAACT6167GIZL

कक्का सूचना

सरकारी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवाली, 2002 के नियम 8(1) के तहत सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारों के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन (सरकारी) अधिनियम 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवाली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना दिनांकित 08-11-2024 जारी की थी, जिसमें कर्जदार नामतः श्री शबेलाल पुत्र बेनायथ निवासी चौबरा यात्री शिपरा बहराच गोरखपुरि उतर प्रदेश 271865 से सूचना में वर्णित अनुसार कर्जदार के खाते में 30-11-2024 तक बकाया राशि रु. 25,50,290.55 (रुपये पच्चीस लाख पचास हजार दो सौ नब्बे और पचपन पैसे मात्र) उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभारों सहित उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

उक्त कर्जदार बकाया राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतः उक्त कर्जदार तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने जे एंड के बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, उक्त निगमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित बंधक सम्पत्ति का कब्जा 07 अगस्त, 2025 को ले लिया है।

एतद्द्वारा, विशेष रूप से उक्त कर्जदार को तथा सर्वसाधारण को सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करें तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड की कुल बकाया राशि रु. 26,97,412.65 (रुपये छब्बीस लाख सत्तानवे हजार चार सौ ब्याइस और पचपन पैसे मात्र) उस पर 01-07-2025 से आगे ब्याज और उपगत किए जा चुके या उपगत किए जाने वाले अन्य प्रभारों के प्रभावधीन होगा।

कर्जदार(री) का ध्यान, प्रच्युत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

ग्राम मोतीपुर परगना तहसील मिर्हीपुरवा जिला बहराच उत्तर प्रदेश 271865 में खसरा संख्या 521 के तहत 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखंड का न्यायिक बंधक।

दिनांक: 07-08-2025 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
 स्थान: लखनऊ, उत्तर प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
 क्लस्टर कार्वालिब लखनऊ, अमीन कॉम्प्लेक्स,
 अकबरी गेट प्रॉब्लिम, लखनऊ-03
 ई-मेल: cluluck@jkbmail.com वेब: www.jkbank.com
 कॉर्पोरेट मुख्यालय: एम.ए. रोड, शीनार-190001, जम्मू एंड कश्मीर, GSTIN: 01AAACT6167GIZL

कक्का सूचना

सरकारी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवाली, 2002 के नियम 8(1) के तहत सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारों के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन (सरकारी) अधिनियम 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवाली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना दिनांकित 08-11-2024 जारी की थी, जिसमें कर्जदार नामतः श्री प्रमोद कुमार पुत्र सतराम निवासी 227 कलाका, बहराच उतर प्रदेश 271865 से सूचना में वर्णित अनुसार कर्जदार के खाते में 31-10-2024 तक बकाया राशि रु. 34,28,778.80 (रुपये बीस लाख अठ्ठाईस हजार सात सौ अठ्ठार रुपये और अस्सी पैसे मात्र) उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभारों सहित उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

उक्त कर्जदार बकाया राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतः उक्त कर्जदार तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने जे एंड के बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, उक्त निगमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित बंधक सम्पत्ति का कब्जा 07 अगस्त, 2025 को ले लिया है।

एतद्द्वारा, विशेष रूप से उक्त कर्जदार को तथा सर्वसाधारण को सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करें तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड की कुल बकाया राशि रु. 36,56,218.80 (रुपये पच्चीस लाख सत्तानवे हजार दो सौ अठ्ठार और अस्सी पैसे मात्र) उस पर 01-07-2025 से आगे ब्याज और उपगत किए जा चुके या उपगत किए जाने वाले अन्य प्रभारों के प्रभावधीन होगा।

कर्जदार(री) का ध्यान, प्रच्युत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

ग्राम मोतीपुर, परगना, तहसील मिर्हीपुरवा जिला बहराच उत्तर प्रदेश 271865 में स्थित संपत्ति 120 वर्ग मीटर भूमि का प्लॉट, खसरा संख्या 319एएए का न्यायिक बंधक।

दिनांक: 07-08-2025 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
 स्थान: लखनऊ, उत्तर प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

KHANDELWAL EXTRACTIONS LIMITED
 CIN : L24241UP1981PLC005282 ; Regd. Office: 51/47, Naya Gani, Kanpur- 208 001

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2025 (Rs./ Lacs)

Sl. No.	Particulars	3 Months Ended 30.06.2025 Unaudited	Previous Year Ended 31.03.2025 Audited	Corresponding Quarter for previous Ended 30.06.2024 Unaudited
1.	Total income from operations	14.57	72.81	20.01
	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	4.61	39.56	11.50
	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	4.61	39.56	11.50
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	4.61	29.60	11.50
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	4.61	29.60	11.50
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share)	85.01	85.01	85.01
7.	Reserves (excluding Dividend Reserve)	208.34	203.73	185.62
8.	Basic & Diluted Earnings per share (of Rs. 10/- each) (For continuing and discontinuing operations) (Not Annualised) (in Rs.)	0.54	3.48	1.35

NOTES: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full particulars of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website: www.bseindia.com and on the Company's website: www.khandelwalextractions.com

For and on behalf of the Board of Directors
 Dinesh Khandelwal
 Director (Finance & CFO)
 DIN: 00161831

Place: KANPUR
 Date: 12.08.2025

जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
 क्लस्टर कार्वालिब लखनऊ, अमीन कॉम्प्लेक्स,
 अकबरी गेट प्रॉब्लिम, लखनऊ-03
 ई-मेल: cluluck@jkbmail.com वेबसाइट: www.jkbank.com
 कॉर्पोरेट मुख्यालय: एम.ए. रोड, शीनार-190001, जम्मू एंड कश्मीर, GSTIN: 01AAACT6167GIZL

कक्का सूचना

सरकारी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवाली, 2002 के नियम 8(1) के तहत सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारों के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन (सरकारी) अधिनियम 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवाली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना दिनांकित 08-11-2024 जारी की थी, जिसमें कर्जदार नामतः श्री वीरेंद्र कुमार पुत्र शिव सारार निवासी 66 मोतीपुर, बहराच उतर प्रदेश 271865 से सूचना में वर्णित अनुसार कर्जदार के खाते में 31-10-2024 तक बकाया राशि रु. 26,82,387.00 (रुपये छब्बीस लाख ब्यासी हजार तीन सौ सत्तरासी मात्र) उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभारों सहित उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

उक्त कर्जदार बकाया राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतः उक्त कर्जदार तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने जे एंड के बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, उक्त निगमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित बंधक सम्पत्ति का कब्जा 07 अगस्त, 2025 को ले लिया है।

एतद्द्वारा, विशेष रूप से उक्त कर्जदार को तथा सर्वसाधारण को सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करें तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड की कुल बकाया राशि रु. 28,53,826.00 (रुपये अठ्ठाईस लाख तिरपन हजार आठ सौ छब्बीस मात्र) उस पर 01-07-2025 से आगे ब्याज और उपगत किए जा चुके या उपगत किए जाने वाले अन्य प्रभारों के प्रभावधीन होगा।

कर्जदार(री) का ध्यान, प्रच्युत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

मोहल्ला मोतीपुर परगना नानपारा तहसील मिर्हीपुरवा मोतीपुर जिला बहराच यूपी 271865 स्थित गाटा संख्या 319 स की संपत्ति प्लॉट का न्यायिक बंधक

दिनांक: 07-08-2025 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
 स्थान: लखनऊ, उत्तर प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
 क्लस्टर कार्वालिब लखनऊ, अमीन कॉम्प्लेक्स,
 अकबरी गेट प्रॉब्लिम, लखनऊ-03
 ई-मेल: cluluck@jkbmail.com वेबसाइट: www.jkbank.com
 कॉर्पोरेट मुख्यालय: एम.ए. रोड, शीनार-190001, जम्मू एंड कश्मीर, GSTIN: 01AAACT6167GIZL

कक्का सूचना

सरकारी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवाली, 2002 के नियम 8(1) के तहत सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारों के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन (सरकारी) अधिनियम 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवाली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना दिनांकित 21-11-2024 जारी की थी, जिसमें कर्जदार नामतः मेरसई नानपारा आगरा एट्टाबहाउजेज प्रोपराइटर श्रीमती गजाला नूर पता 135, जुबलीनग नूरी मार्केट नानपारा, जिला बहराच यूपी. 271865 (कर्जदार) और श्री नूर मोहम्मद (दिनंगत बंधककर्ता सह गारंटर) पुत्र सुल्तान अहमद निवासी मोहल्ला जुबलीनग कक्का परगना और तहसील नानपारा, जिला बहराच यूपी. (बंधककर्ता सह गारंटर) और कानूनी वारिस:

(क) श्री खलील उल लाह पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (ख) श्री नूरुल्लाह पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (ग) श्री अजीमिल्लाह पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (घ) श्री सैफुल्लाह पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (ङ) श्री मोहम्मद युसुफ पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (च) मोहम्मद रेहान पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (छ) सुश्री गजाला नूर पुत्री स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (ज) सुश्री तेवबा जुनेद पुत्री स्वर्गीय नूर मोहम्मद

समस्त निवासीगण मोहल्ला जुबलीनग कक्का परगना व तहसील नानपारा जिला बहराच उ.प्र. 271865 नूर मोहम्मद के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को इस्के बाद मृतक बंधककर्ता सह गारंटर के रूप में भी जाना जाएगा

को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर खाली में बकाये राशि 03.12.2024 तक बकाया रु. 53,03,189.00 (रुपये तिरपन लाख तीन हजार एक सौ नवतीस मात्र) तथा भावी लागत एवं अन्य प्रभार आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उक्त कर्जदार, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा कर्जदारों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 7 अगस्त, 2025 को जे एंड के बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने उक्त निगमावली के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित बंधक सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से अग्रधारक तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 55,89,234.00 (रुपये पचपन लाख नवतीस हजार दो सौ बीसतीस मात्र) तथा 01.07.2025 से उस पर भावी ब्याज एवं होने वाले वाह्य एवं अन्य व्यय के लिये जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा।

अग्रधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विभाजित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

- मोहल्ला जुबलीनग कक्का परगना और तहसील नानपारा जिला बहराच में स्थित 9591 वर्ग फुट भूमि वाले पक्के और पुराने मकान के समतुल्य बंधक पर प्रभार का विस्तार, जिसका स्वामित्व श्री नूर मोहम्मद पुत्र सुल्तान अहमद निवासी मोहल्ला जुबलीनग कक्का परगना और तहसील नानपारा जिला बहराच 271865 के पास है।
- मोहल्ला मोतीपुर, परगना-नानपारा तहसील मिर्हीपुरवा/मोतीपुर, जिला बहराच 271865 में स्थित गाटा संख्या 319 स के 575 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले भूखंड/प्लॉट और उस पर प्रस्तावित सभी निर्माण का समतुल्य बंधक, जिसका स्वामित्व श्री अजीमिल्लाह पुत्र मोहम्मद, निजसका स्वामित्व श्री नूर मोहम्मद पुत्र सुल्तान अहमद निवासी मोहल्ला जुबलीनग कक्का परगना और तहसील नानपारा जिला बहराच 271865 के पास है।

दिनांक: 07-08-2025 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
 स्थान: लखनऊ, उ.प्र. जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
 क्लस्टर कार्वालिब लखनऊ, अमीन कॉम्प्लेक्स,
 अकबरी गेट प्रॉब्लिम, लखनऊ-03
 ई-मेल: cluluck@jkbmail.com वेबसाइट: www.jkbank.com
 कॉर्पोरेट मुख्यालय: एम.ए. रोड, शीनार-190001, जम्मू एंड कश्मीर, GSTIN: 01AAACT6167GIZL

कक्का सूचना

सरकारी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवाली, 2002 के नियम 8(1) के तहत सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारों के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन (सरकारी) अधिनियम 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवाली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना दिनांकित 08.11.2024 जारी की थी, जिसमें कर्जदार नामतः मेरसई नानपारा आगरा एट्टाबहाउजेज प्रोपराइटर श्रीमती गजाला नूर पता 135, जुबलीनग नूरी मार्केट नानपारा, जिला बहराच यूपी. 271865 (कर्जदार) और श्री नूर मोहम्मद (दिनंगत बंधककर्ता सह गारंटर) पुत्र सुल्तान अहमद निवासी मोहल्ला जुबलीनग कक्का परगना और तहसील नानपारा, जिला बहराच यूपी. (बंधककर्ता सह गारंटर) और कानूनी उत्तराधिकारी:

(क) श्री खलील उल लाह पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (ख) श्री नूरुल्लाह पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (ग) श्री अजीमिल्लाह पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (घ) श्री सैफुल्लाह पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (ङ) श्री मोहम्मद युसुफ पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (च) मोहम्मद रेहान पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (छ) सुश्री गजाला नूर पुत्री स्वर्गीय नूर मोहम्मद
 (ज) सुश्री तेवबा जुनेद पुत्री स्वर्गीय नूर मोहम्मद

समस्त निवासीगण मोहल्ला जुबलीनग कक्का परगना व तहसील नानपारा जिला बहराच उ.प्र. 271865 नूर मोहम्मद के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को इस्के बाद मृतक बंधककर्ता सह गारंटर के रूप में भी जाना जाएगा

को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर खाली में बकाये राशि 31.10.2024 तक बकाया रु. 62,66,371.35 (रुपये ब्यासठ लाख छियावन हजार तीस सौ इक्कठार और बीस पैसे मात्र) तथा भावी लागत एवं अन्य प्रभार आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उक्त कर्जदार, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा कर्जदारों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 7 अगस्त, 2025 को जे एंड के बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने उक्त निगमावली के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित बंधक सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से अग्रधारक तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 69,96,239.90 (रुपये पचपन लाख छियावन हजार दो सौ उन्तालीस और नब्बे पैसे मात्र) तथा 01.07.2025 से उस पर भावी ब्याज एवं होने वाले वाह्य एवं अन्य व्यय के लिये जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा।

अग्रधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विभाजित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

- सुश्री गजाला नूर पुत्री स्वर्गीय नूर मोहम्मद
- मोहम्मद हनीफ के नाम पर मोहल्ला कारवार जिला बरंघर नंबर 11 मीजा नानपारा देहाती वाणिज्यिक दुकान का न्यायिक बंधक
- मोहम्मद युसुफ के नाम पर नानपारा देहाती मोहल्ला हसन गंज बरघाच 5444 नानपारा जिला बहराच में स्थित संख्या 01 और न्यायिक संख्या 3803 निन के अनुसार 112.76 वर्ग मीटर भूमि पर निर्मित दो मंजिले मकान का न्यायिक बंधक
- सुश्री शमा परवीन पुत्री शकील अहमद के नाम पर ग्राम नानपारा देहाती परगना नानपारा बहराच में स्थित गाटा संख्या 5206 के तहत परिणाम 0012 हेक्टेयर वाले भूखंड पर निर्मित होने वाले मकान का न्यायिक बंधक

दिनांक: 07-08-2025 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
 स्थान: लखनऊ, उत्तर प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड